# कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

## –:: विविध आदेश ::–

**कमांक 1423/कार्या./2020** **रायपुर, दिनांक 12.11..2020**

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश कमांक 114 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा दिनांक 17.11.2020 से न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रारंभ किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसके अनुपालन में दिनांक 17.11.2020 से जिला न्यायालय रायपुर एवं सिविल जिला रायपुर के बाह्य न्यायालयों का सामान्य और नियमित कामकाज माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के शर्तों के अधीन प्रारंभ होना है। अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश किया जाता है :–

(1) दिनांक 17.11.2020 से जिला न्यायालय, रायपुर का कार्यालय अनुभाग, नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, मालखाना अनुभाग, केन्द्रीय पंजीयन शाखा, कम्प्यूटर शाखा एवं अन्य समस्त अनुभाग के समस्त कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालयीन समय पर अपने कर्त्तव्य पर न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होंगे।

(2) दिनांक 17.12.2020 से जिन न्यायालयों की बैठक इस कार्यालय के विविध आदेश कमांक 1392 दिनांक 05.11.2020 द्वारा निर्धारित की गई है उक्त न्यायालयों के बैठक दिनांक को संबंधित न्यायालयों के समस्त कर्मचारी न्यायालयीन समय पर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर न्यायालयीन कार्य का संपादन करेंगे।

(3) दिनांक 17.11.2020 से इस कार्यालय के आदेश कमांक 1392 दिनांक 05.11.2020 के अनुसार जिन न्यायालयों का बैठक जिस दिनांक को निर्धारित नहीं है तो न्यायालय का बैठक न होने के दिनांक को भी संबंधित न्यायालय के कम से कम दो कर्मचारी न्यायालयीन समय पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, जिससे किसी प्रकार के अत्यावश्यक कार्य उत्पन्न होने पर उसके निष्पादन में कोई कठिनाई न हो। उक्त संबंध में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि उनके न्यायालय के कौन–कौन कर्मचारी किस दिनांक को ड्यूटी करेंगे।

(4) दिनांक 17.11.2020 से बाह्य न्यायालय गरियाबंद, देवभोग, तिल्दा एव राजिम का कार्य नियमित और सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाना है। अतः उक्त बाह्य न्यायालयों का समस्त न्यायालयीन/ कार्यालयीन स्टाफ न्यायालयीन समय पर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा।

(5) उपरोक्त आदेश के पालन में यदि किसी कर्मचारी द्वारा त्रुटि की जाती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

**सही/–**

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.

पृष्ठांकन कमांक 1424/कार्या./2020 रायपुर, दिनांक 12.11..2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2 विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई, रायपुर ।
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर।
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/ गरियाबंद।
5 प्रथम/ द्वितीय /तृतीय /चतुर्थ/ पंचम/षष्ठम /सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/ एकादश/ द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
7. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तमें/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, रायपुर/गरियाबंद।
9. प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम/ सप्तम/ अष्टम/ नवम/दशम/ एकादश/ द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/ पंचदश/ षष्ठदश/ सप्तदश/ अष्टदश/ नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर ।
11. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/ देवभोग।
13 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।
14 प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने–अपने अनुभाग/ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई–मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12-11-20

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.